(2019)5 एस.सी.आर. 276

काकाडिया बिल्डर्स प्रा०लि० और अन्य

बनाम

आयकर अधिकारी वार्ड 1(3) एवं अन्य

सिविल अपील सं० 2491/2019) मार्च 05, 2019

[अभय मनोहर सपरे और दिनेश महेश्वरी, जेजे.]

आयकर अधिनियम, 1961 धारा154, 234 ए, 234 बी और 234 सी, अध्ययाय XIXA अपीलकर्ता निर्धारिती ने कर दायित्व के निर्धारण के लिए मूल्यांकन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान निर्धारण आयोग के समक्ष निर्धारण आवेदन दायर किये– 11.08.2000 को, निर्धारण आयोग ने एक आदेश पारित किया और कुछ अतिरिक्त जोड़े और लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया गया। अधिनियम की धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी– व्यथित, अपीलकर्ता और राजस्व दोनों ने सुधार आवेदन दायर किया जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण आयोग ने दिनाक– 11.10.2002 के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 154 के तहत अपने दिनांक–11.08.200 के आदेश को संशोधित किया, जहां तक यह ब्याज की माफी से संबंधित था, जो अपीलकर्ता निर्धारती को दी गयी थी, हालांकि, उच्च न्यायालय ने निर्धारण आयोग के आदेश को रद्द कर दिया। दिनांक–11.10.2002 इसके बाद, राजस्व ने उच्च न्यायालय में दिनांक–11.08.2000 के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने निर्धारण आयोग के दिनांक–11.10.2000 के आदेश में निहित निर्धारण आयोग के निर्देशों के संदर्भ में ब्याज की छूट को उलट कर निर्धारण आयोग के संशोधित को संशोधित किया। 2002, अपील पर, आयोजित उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण क्षेत्राधिकार के बिना था– उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि निर्धारण आयोग के दिनांक–11.10.2002 के आदेश को पहले ही प्रकाश में पारित किये गये पहले दौर में उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। बृजलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, जिसमें उसने माना था कि निर्धारण आयोग के पास अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए, घासवाला मामले और बृजलाल मामले में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश और निर्धारण आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक–11.08.2000 को इस हद तक छूट के संबंध में मुद्दे का फैसला किया गया, ब्याज को अलग रखा गया, निर्धारती द्वारा नए सिरे से देय ब्याज की माफी से संबंधित मुद्दे को तय करने के लिए मामले को निर्धारण आयोग को भेज दिया गया।

279 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स [2019] 5 एस.सी.आर.

न्यायालय में अपील स्वीकार करते हुये

अवधारित:1. मामले में उत्पन्न होने वाली स्थिति में, उच्च न्यायालय मुद्दे के गुण–दोष पर जाने के बजाये आदेश को रद्द कर देना चाहिये था। दिनांक–11.08.2000 को निर्धारण आयोग द्वारा पारित किया गया और रिमांड पर लिया गया छूट से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए निर्धारण आयोग को मामला अधिनियम की धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी के तहत नए सिरे से देय ब्याज निर्धारण के दायरे और शक्तियों की सीमा को ध्यान में रखते हुए आयुक्त द्वारा निर्धारित ब्याज माफी के संबंध में आयकर आयुक्त, मुम्बई बनाम अंजुम एम.एच.घासवाला एवं अन्य (200)1 एससीसी 633 और दूसरा 21.10.2010 को बृजलाल और में में प्रस्तुत किया गया था अन्य बनाम आयकर आयुक्त, जालंधर(2011)1 एससीसी1.(पैरा22)

(285–ई)

2.हालांकि, उच्च न्यायालय ने एक न्यायिक त्रुटि की, जब उसने देखा कि उन्होंने(उच्च न्यायालय) निर्धारण आयोग के दिनांक 11.10.2002 के आदेश में निहित निर्देशों को अपनाया और फिर उक्त निर्देशों को एक भाग के रूप में लागू किया। ब्याज माफी के संबंध में विवादित आदेश उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना है। (पैरा–23)(285 एफ–जी)

3. उच्च न्यायालय यह देखने में विफल रहा कि निर्धारण आयोग के आदेश दिनांक–11.10.2002 को पहले ही दौर में उच्च न्यायालय ने एस.सी.ए. 2004 की संख्या 15097 और 15101, बृजलाल में पारित आदेश दिनांक– 03.03.2014 के माध्यम से पहले ही रद्द कर दिया था। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में

जिसमें यह निर्धारित किया गया कि समझौता आयोग के पास अधिनियम की धारा 154 के तहत आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। (पैरा–24)(285 जी–एच)

4. चूंकि निर्धारण आयोग का आदेश दिनांक–11.10.2002 पहले से ही इस आधार पर कानून की दृष्टि से खराब माना गया था कि यह अधिनियम की धारा 154 के तहत पारित किया गया था, यह न तो किसी भी उद्देश्य के लिए अस्तित्व में था और न ही इस पर भरोसा किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने इसे रिट जारी करने के अपने आदेश का हिस्सा बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा।(पैरा–25) 286 ए–बी)

5. इसलिए, आक्षेपित आदेश और निर्धारण आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक–11.08.2000 को उस सीमा तक अलग रखा जाता है, जहां तक उसने काकाडिया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य बनाम आयकर अधिकारी में के ब्याज की छूट के संबंध में मुद्दे का निर्णय किया था।

अधिकारी वार्ड 1(3) एवं अन्य

और संबंधित पक्षों को अवसर देने के बाद घासवाला और बृजलालने इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए निर्धारती(यहां अपीलकर्ताओं) द्वारा देय ब्याज की छूट से संबंधित मुद्दे को तय करने के लिए मामले को निर्धारण आयोग को भेज दें। (पैरा–26) (286 बी.सी.)

आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अंजुम एम.एच.

घासवाला एवं अन्य(2002) 1 एससीसी 633 (2001)4 पूरक
एससीआर 303 बृजलाल और अन्य, आयकर आयुक्त,
जालंधर (2011)1 एससीसी 1(2010) 11 एससीआर 1167

पर भरोसा

केस लॉ रेफरेंस (2001) 4 पूरक एससीार 303 पैरा 16 पर निर्भर था (2010) 11 एससीआर 1167 पैरा 16 पर निर्भर था

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या–2494–2492/2019

उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक–28.07.2016 से गुजरात अहमदाबाद में विशेष आवेदन संख्या–7814, 7820/2014

आर.पी. भट्ट, सीनियर एडवोकेट,एस. सुकुमारान, आनन्द सुकुमार, भूपेश कुमार पाठक, श्रीमती मीरा माथुर, अपीलकर्ता की तरफ से अधिवक्ता
के राधाकृष्णनन, सीनियर एडवोकेट, श्रीमती पूर्णिमा भट काक, जोहेब हुसेन(श्री अनिल कटियार के लिए) अधिवक्ता उत्तरदाता की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अभय मनोहर सपरे, जे.1. अनुमति स्वीकृत.

2. ये अपीलें गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद द्वारा 2014 के एससीए नंबर 7814 और 7820 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक–28.07.2016 के खिलाफ निर्देशित हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं(एससीए) का निपटारा कर दिया।
3. इन अपीलों में शामिल मुद्दे की सराहना करने के लिए, कुछ प्रासंगिक तथ्यों को सामने रखना आवश्यक है।
4.यहां अपीलकर्ता प्रतिवादी(निर्धारिती) है और यहां उत्तरदाता(राजस्व) उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं (एससीएएस) में याचिकाकर्ता है, जहां से ये अपीलें उत्पन्न होती हैं। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स(2019)5 एस.सी.आर.
5. अपीलकर्ता ने एस.एल.पी. नं०–21139/2017 एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी है और एसएलपी नं०–21140/2017 में अपीलकर्ता उक्त कम्पनी का प्रमोटर निदेशक है। 19.01.1994 को, आयकर अधिनियम, 1961(इसके बाद 'अधिनियम'के रूप में संदर्भित) के तहत अपीलकर्ताओं (निर्धारिती) के परिसर में एक तलाशी और जब्ती अधिनियम चलाया था।
6. मूल्यांकन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, जो तलाशी और जब्ती कार्यवाही के परिणामस्वरूप कर देनदारी के निर्धारण के लिए शुरू की गयी थी, अपीलकर्ताओं ने 12.03.1996 और 03.09.1996 को निर्धारण आयोग के समक्ष निर्धारण आवेदन दायर किए और अपने अधिनियम के अध्याय XIXA के तहत प्रदान की गयी प्रक्रिया के अनुसार कर मामला पेशकश की।
7. दिनांक–11.08.2000 को, निर्धारण आयोग ने अधिनियम की धारा 245(डी) के तहत एक आदेश पारित किया। उक्त आदेश के द्वारा, निर्धारण आयोग ने अधिनियम धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी के तहत कुछ अतिरिक्त दरें जोड़ी और ब्याज माफ कर दिया।

8.अपीलकर्ताओं(निर्धारिती) ने व्यथित महसूस किया और आदेश दिनांक–11.08.2000 में संशोधन के लिए 29.12.2000 को निर्धारण आयोग के समक्ष शुद्धिकरण आवेदन दायर किया। राजस्व (आयकर आयुक्त) ने भी दिनांक–11.08.2000 के आदेश को व्यथित महसूस किया और 26.07.2002 को निर्धारण आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 154 के तहत एक शुद्धिकरण आवेदन दायर किया।

9.दिनांक–11.10.2002 के आदेश द्वारा, निर्धारण आयोग ने खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं(निर्धारिती) द्वारा दायर आवेदन और आंशिक रूप से अनुमति दी गयी उत्तरदाताओं(राजस्व) द्वारा दिनांकित आदेश में सुधार हेतु आवेदन दाखिल किया गया। 11.08.2000 जहां तक यह ब्याज की छूट से संबंधित था, जो प्रदान की गयी थी।

अपीलकर्ताओं(निर्धारिती) को अपीलकर्ताओं(निर्धारिती) ने निर्धारण आयोग द्वारा पारित दिनांक–11.10.2002 के आदेश से व्यथित महसूस किया और गुजरात उच्च न्यायालय में दो अलग–अलग याचिकाएं(एससीए संख्या 15097 और 15101/2004) दायर की।
10.इसलिए, राजस्व ने व्यथित महसूस किया और काकाडिया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य बनाम आयकर के आदेश के खिलाफ दो याचिकाएं(2014 की एससीए संख्या 7814 और 2014 की 7820) दायर की।
अधिकारी वार्ड 1(3) एवं अन्य(अभय मनोहर सप्रे, जे.)
11.08.2000 को इसकी वैधता पर सवाल उठाया गया। उच्च न्यायालय ने हालांकि समापन पैराग्राफ में कहा कि याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है, फिर भी सारगर्भित रूप से याचिकाओं(एससीएएस) को अनुमति दी गयी और पैराग्राफ 13 में निम्नलिखित निर्देशों को

पारित करके निर्धारण आयोग दिनांक–11.08.2000 के आदेश को संशोधित किया गया, जो इस प्रकार हैः
"इन परिस्थितियों में, हम निर्धारण आयोग के दिनांक–11.10.2002 के आदेश में निहित निर्देशों के संदर्भ में ब्याज की छूट को उलट कर निर्धारण आयोग के दिनांक–11.08.2000 के आदेश में संशोधन का निर्देश देते हैं। दूसरे शब्दों में, हम संशोधन के लिए निर्धारण आयुक्त के मूल आदेश दिनांक–11.08.2000 के समान निर्देशों को अपनाते हैं।
12. इस आदेश के विरुद्ध, अपीलकर्ताओं(निर्धारती)ने व्यथित महसूस किया और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है।
13. तो, इन अपीलों में विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं(एससीए)को अनुमति देना उचित था और इस प्रकार निर्धारण आयोग द्वारा पारित दिनांक–11.08.2000 के आदेश को संशोधित करना उचित था।

14.अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर.पी.भट्ट और उत्तरदाओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के.राधाकृष्णनन को सुना गया।

15. पक्षकारोंके विद्वान वकील को सुनने और पक्षों द्वारा दायर लिखित दलीलों सहित मामले के रिकार्ड को देखने के बाद, हम अपील की अनुमति देने और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए निर्धारण आयोग को भेजने की इच्छुक हैं। बुनियादी ढांचे की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए गुण–दोष के आधार पर।

16.सबसे पहले, हम यह उल्लेख करना उचित समझते हैं कि इन अपीलों में शामिल मुद्दा इस न्यायालय की दो संविधान पीठों के निर्णय द्वारा निर्धारित कानून द्वारा शासित है। एक 18.10.2001 को आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अंजुम एम.एच. में प्रस्तुत किया गया था। घासवाला और अन्य(2002) 1 एससीसी 633 और दूसरा 21.10.2010 को बृजलाल और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, जालंधर,में प्रस्तुत किया गया था।(2011)1 एससीसी1)

17. जहां तक घासवाला(सुप्रा) में दिये गये निर्णय का संबंध है,

इसमें शामिल प्रश्न यह था कि क्या अधिनियम की धारा 245 बी के तहत गठित निर्धारण आयोग के पास धारा 234 ए, 234 बी सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स(2019) 5 एस.सी.आर. के तहत लगने वाले ब्याज को कम करने या माफ करने का अधिकार क्षेत्र है।

और अधिनियम की धारा 234 सी के तहत समझौते का आदेश पारित करते हुए अधिनियम की धारा 245 डी, निपटान आयोग की शक्तियों के संदर्भ में अधिनियम की योजना की जांच करने के बाद, न्यायमूर्ति संतोष हेकड़े ने पीठ के लिए बोलते हुये निम्नानुसार कहा

"35.ऊपर बताये गये कारणों से हम मानते हैं कि आयोग धारा 245 डी(4) और(6)के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है। धारा 119 के तहत बोर्ड द्वारा जारी परिपत्रों के तहत राहत देने की सीमा को छोड़कर, धारा 234–ए, 234 बी और 234 सी के तहत वैधानिक रूप से देय ब्याज को कम करने या माफ करने की शक्ति नहीं है।"

18.क्या धारा 234–बी उक्त अधिनियम के अध्याय XIX–A के तहत निर्धारण आयोग की कार्यवाही पर लागू होती है?

(ID) यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है,

इस तरह के ब्याज को लगाने का अंतिम बिंदू क्या है

क्या ऐसे ब्याज की गणना धारा 245–डी(1) के तहत आदेश की तारीख तक की जानी चाहिए या तारीख तक

धारा 245–डी(4) के तहत आयोग का आदेश?

(IID) क्या निर्धारण आयोग उक्त अधिनियम की धारा 154 को लागू करके अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से खोल सकता है ताकि धारा 234–बी के तहत ब्याज लगाया जा सके, हालांकि मूल कार्यवाही में ऐसा नहीं किया गया था? "

19.इन प्रश्नों की जांच करने के बाद, यह न्यायालय न्यायमूर्ति एस.एच.कपाड़िया। तत्कालीन विद्वान सीजेआई कपाड़िया के माध्यम से सवालों के जवाब इस प्रकार दिये–

"(1)धारा 234–ए, 234–बी और 234–सी निर्धारण आयोग की कार्यवाही पर लागू होती है अधिनियम का अध्याय XIX–A यहां ऊपर बतायी गयी सीमा तक)

(2) निष्कर्ष के परिणामस्वरूप(/), धारा 234–बी के तहत ब्याज लगाने के लिए अंतिम बिंदु धारा 245–डी(1) के तहत आदेश की तारीख तक होगा, न कि निर्धारण के आदेश की तारीख तक। धारा–245–डी(4) के तहत काकड़िया बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड और अन्य बनाम आयकर

अधिकारी वार्ड 1(3) एवं एएऩआर(अभय मनोहर सप्रे, जे.)

3.निर्धारण आयोग अधिनियम की धारा 154 को लागू करके अपनी समाप्त कार्यवाही को फिर से नहीं खोल सकता है ताकि धारा 234–बी के तहत ब्याज लगाया जा सके, विशेष रूप से,

धारा–245–1 का दृष्टिकोण"

20.उपरोक्त दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों में विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व द्वारा दायर याचिकाओं(एससीए) को अनुमति देना उचित था।

21.यह विवाद में नहीं है कि जब निर्धारण आयोग ने 11.08.2000 को अपीलकर्ताओं(एसीसी) के आवेदन का निपटान करते हुए पहला आदेश पारित किया, तो निर्धारण आयोग की शक्तियों के संबंध में मुद्दा इसके किसी भी निर्णय से तय नहीं हुआ था। अदालत। इस मामले में निर्धारण आयोग द्वारा आदेश पारित करने के बाद दो निर्णय दिये गये। इसलिए, निर्धारण आयोग के पास इन दो निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में विचाराधीन मुद्दे की जांच करने का कोई अवसर नहीं था। हालांकि, विचाराधीन मुद्दा उस समय, याचिकाओं(एससीए) में उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था।

22. मामले में उत्पन्न होने वाली स्थिति में, उच्च न्यायालय को मुद्दे की योग्यता पर जाने के बजाये, निर्धारण आयोग द्वारा पारित दिनांक–11.08.2000 के आदेश को रद्द कर देना चाहिए और मामले को निर्धारण आयोग भेज देना चाहिए। उक्त दो निर्णयों में निर्धारित ब्याज की छूट के संबंध में निर्धारण आयुक्त की शक्तियों के दायरे और सीमा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 234 ए, 234 बी और 234 सी के तहत देय ब्याज की छूट से संबंधित मुद्दे पर नए सिरे से निर्णय लेना।

23.हालांकि, उच्च न्यायालय ने एक क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की, जब उसने पैरा 13(ऊपर उद्धृत) में देखा कि उन्होंने(उच्च न्यायालय) निर्धाण आयोग के दिनांक–11.10.2002 के आदेश में निहित निर्देशों को अपनाया और फिर आगे बढ़ गये। ब्याज की छूट के संबंध में लागू आदेश के एक भाग के रूप में उक्त निर्देश उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण पूरी तरह से क्षेत्राधिकार के बिना है।

24.उच्च न्यायालय दिनांक–11.10.2002 के आदेश को देखने में असफल रहा।

एस.सी.ए.2004 की सं०–15091 और 15101 में पारित आदेश दिनांक–03.03.2014 के तहत पहले दौर में ही उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारण आयोग को पहले ही रद्द कर दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा बृजलाल(सुप्रा) में निर्धारित कानून के आलोक में जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि निर्धारण आयोग के पास धारा 154 के तहत आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है।(निष्कर्ष ।।। देखें)। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट(2019)5 एस.सी.आर.

25. चूंकि निर्धारण आयोग के दिनांक–11.10.2002 के आदेश को पहले से ही इस आधार पर कानून की नजर में गलत माना गया था कि यह अधिनियम की धारा 154 के तहत पारित किया गया था, यह न तो किसी भी उद्देश्य के लिए अस्तित्व में था और न ही इस पर भरोसा किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने इसे रिट जारी करने के अपने आदेश का हिस्सा बनाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा।

26. हमने ऊपर जो कहा है, उसके आलोक में, हम आक्षेपित आदेश और निर्धारण आयोग द्वारा पारित दिनांक–11.08.2000 के आदेश को उस सीमा तक रद्द करना उचित मानते हैं, जहां तक इसने ब्याज की माफी के संबंध में मुद्दे का फैसला किया और मामले को वापस भेज दिया। संबंधित पक्षों को अवसर देने के बाद घासवाला(सुप्रा) और बृजलाल(सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए निर्धारती(यहां अपीलकर्ताओं) द्वारा देय ब्याज की छूट से संबंधित मुद्दे को नए सिरे से तय करने के लिए निर्धारण आयोग को भेजा जायेगा।

27. तदानुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश और निर्धारण आवेदन संख्या 10/एस/095/95–96/आईटीऔर 10/एस/029/95–96/आईटी में निर्धारण आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2000 को अपास्त किया जाता है।

28. हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि मामले को निर्धाण आयोग को भेजने के लिए राय बनाते समय हमने मुद्दे की योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। निर्धारण आयोग तदानुसार इस न्यायालय द्वारा की गयी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का निर्णय करेगा। इस आदेश की तारीख छः महीने के भीतर निर्धारण आयोग द्वारा मामले का निर्णय किया जाये। अंकित ज्ञान की अपील स्वीकार की जाती है।.

(मनोज कुमार यादव–।)
सिविल जज(जू0 डि0)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सम्भल स्थित चन्दौसी।